संख्या /XIV–1/2007

प्रेषक,

डा0 रणवीर सिंह,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग– 1 देहरादून दिनांक 13 जनवरी, 2007

विषय–चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिये सहकारी सहभागिता योजना (ट्रायबल सब प्लान) के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांखण्ड के पत्र संख्या 5051 /नियो0/सहभागिता–एस0सी0पी0/2006–07 दिनाक 18.12.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 में सहकारी सहभागिता योजना (ट्रायबल सब प्लान) के अन्तर्गत अल्पकालीन एवं मध्यकालीन/दीर्घकालीन/ आवास ऋणों पर लागू ब्याज दरो के सापेक्ष भारत सरकार /नाबार्ड से 2 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के पश्चात राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन किये जाने वाले ब्याज दरों के अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 24.00 लाख (रू0 चौबीस लाख मात्र) की निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1)उक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या 233/2005/XIV–1/2005 दिनांक 28.4.2005, शासनादेश संख्या 359/2006/XIV–1/2006 दिनांक 26.5.2006 तथा शासनादेश संख्या 895/XIV–1/2006 दिनांक 17.10.2006 एवं समय समय पर संशोधित शासनादेश के उल्लिखित शर्तो के अनुसार ही किया जायेगा।

(2)निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड पर स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना महालेखाकार, (लेखा) कार्यालय, उत्तरांखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम व बाउचर सख्या, लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करने का उत्तरदायित्व होगा।

(3)इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागो/उपकमो में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/ वरिष्ठ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

(4)उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल इसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों पर देय ब्याज के राज्यांश के अनुदान के रूप में ही प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा किसी ऐसे मद पर धनराशि व्यय न की जाय, जो योजना में स्वीकृत नही है।

(5)स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों पर किया जाय जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें तथा उनसे अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(6)उक्त स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह या उसके अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/ शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित किया जाय।

(7)उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न की जाय, जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमो का अनुपालन किया जाय।

(8)उक्त योजना का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर तद्नुसार व्यय 31.मार्च 2007 तक सुनिश्चित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराई जाय तथा अवशेष धनराशि 31 मार्च 2007 को शासन को समर्पित की जाय।

2–उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2425–सहकारिता–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना –00–05 – सहकारी सहभागिता योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामें डाला लायेगा।

3–यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या 490/वित्त–4/2006 दिनांक 6.2.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रणवीर सिंह)
सचिव।

संख्या 1067 /XIV–1/2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2.निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तरांखण्ड शासन।
3.वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4.मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।
5.वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा उत्तराखण्ड।
6.निदेशक ,एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7.समस्त जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड।
8.गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0आर0टम्टा)
अपर सचिव।